भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1231
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना

1231 श्री सी. एम. रमेश:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है और ऐसे भत्ते देने के लिए क्या मानदंड उपनाये गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) देश में समाज के विभिन्न तबकों के शिक्षित युवाओं को प्रदान किए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): सरकार रोजगार चाहने वालों को रोजगार अवसरों के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएस करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना, शिक्षुता, इंटर्नशिप इत्यादि जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। एनसीएस के तहत ये सेवाएं ऑनलाइन एवं नि: शुल्क उपलब्ध हैं, जो करियर केंद्रों, साझा सेवा केंद्रों, डाक घरों, मोबाइल उपकरणों, साइबर कैफे आदि के माध्यम से सीधे ही प्राप्त की जा सकती हैं। एनसीएस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न हितधारकों में रोजगार चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार कार्यालय (करियर केंद्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षिक संस्थान और नियोजन संगठन शामिल हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, बेरोजगारी लाभ, पात्रता शर्तों की शर्त पर, उन बीमित कामगारों को भुगतान किया जाता है जो अपनी नौकरी खो देते हैं। कोविड-19 के कारण अपना रोजगार गंवाने वाले बीमित कामगारों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्त में छूट के साथ एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी का लाभ औसत प्रतिदिन वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है, 90 दिनों तक देय है। बढ़ा हुआ लाभ और छूट की शर्तें 24.03.20 से 31.12.2020 की अवधि हेतु लागू हैं।

*****